अति महत्वपूर्ण

अंतिम एवं आखिरी अवसर

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
निष्ठा भवन (न्यु.सी.जी.ओ. बिल्डिंग),
48, न्यु मरीन लाइन्स, मुंबई - 400 020.
www.texmin.nic.in;www.txcindia.gov.in
E-mail:otxccotton@gmail.com
दूरभाष नं. 022 -22037000; फैक्स नं. 022 - 22002495

सं. 3/ (87)/2013/कॉटन/खंड-IV/9-22 दिनांक: 04 /03/2014

प्रेस नोट

विषयः वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले कॉटन जिनिंग इकाइयों , सम्मिश्रित कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयों, स्वतंत्र कॉटन प्रेसिंग इकाइयों तथा जिन्ड कॉटन बेल व्यापारियों द्वारा मासिक विवरण को प्रस्तुत करने एवं पंजीकरण करने हेतु अपील ।

रुई उत्पादकों, कॉटन जिनरों, कॉटन बेल प्रेसरों तथा कॉटन व्यापारियों आदि के हित में जिन्ड तथा / अथवा प्रेस्ड कॉटन उत्पादन, खपत / वितरण तथा इसके व्यापार आदि (इसे इसमें इसके पश्चात रुई सांख्यिकी के रुप में संबोधित) से संबंधित सांख्यिकी को एकत्रित करना एवं इसका रख रखाव अत्यावशक है । तदनुसार वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.02.2013 की अधिसूचना सं.का.आ. 786 (अ) दिनांक 20.03.2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की एवं वस्त्र आयुक्त तथा इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों (इसे इसमें इसके पश्चात सांख्यिकी अधिकारी के रुप में संबोधित) को कॉटन जिनिंग इकाइयों, सम्मिश्रित कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाइयों, स्वतंत्र कॉटन प्रेसिंग इकाइयों, कॉटन व्यापारियों तथा सर्जिकल कॉटन तथा / अथवा कॉटन वाडिंग विनिर्माण इकाइयों (इसे इसमें इसके पश्चात युनिटधारक के रुप में संबोधित) से मासिक आधार पर उक्त में विहित मासिक विवरणी में रुई की सांख्यिकी एकत्रित करने का निदेश दिया । सांख्यिकी अधिकारी, उनके अधिकार क्षेत्र एवं पते इस प्रेस नोट के साथ संलग्न परिशिष्ट - 'ए' में दिये गये हैं।

2. उपरोक्त दिनांक 27.02.2013 की अधिसूचना सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 (इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रुप में संबोधित) की धारा 3 एवं 4 सपठित सांख्यिकी एकत्रीकरण नियमों के नियम 5 तथा 7 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम के रुप में संबोधित) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है । युनिटधारक का ध्यान उक्त अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों / धाराओं की ओर आकर्षित किया जाता है।

क. उक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, सूचना देने वाले अर्थात युनिटधारक वर्तमान मामले में जिन्हें कोई जानकारी अर्थात रुई सांख्यिकी निर्धारित रुप में / मासिक विवरणों के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा जाए, वे मांगी गई जानकारी क्षेत्रीय सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करने को बाध्य होंगे।

ख. उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत कोई भी जानकारी केवल सांख्यिकी उद्देश्य की लिये ही प्रयोग में लाई जाएगी।

अतः युनिटधारक के मन में रुई सांख्यिकी संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को जमा करने में कोई संकोच तथा / अथवा भय न हो जो कि अगले माह की 15 तारीख तक जमा करनी है । उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उक्त युनिटधारकों द्वारा इस बाध्यता की पूर्ति न कर पाने का कोई कारण ही नही है।

3. भारत सरकार के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 13.06.2013 का परिपत्र एवं दिनांक 02.08.2013 एवं 17.10.2013 की प्रेस नोट जारी की गई, जिसमें सभी युनिटधारक को http://www.txcindia.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति द्वारा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी के साथ उनकी इकाइयों / फर्मों का पंजीकरण करने के एवं तत्पश्चात वेबसाइट http://www.txcindia.gov.in के अंतर्गत 'रुई पर सांख्यिकी का एकत्रीकरण ' (Collection of statistics on cotton) शीर्षक में 'मासिक विवरण का ऑनलाइन प्रेषण' लिंक के माध्यम से शीर्षक 'रुई पर सांख्यिकी का एकत्रीकरण' (Collection of statistics on cotton) के अन्तर्गत लिंक 'इकाइयों / रुई व्यापारियों का ऑनलाइन पंजीकरण' को खोलकर रुई सांख्यिकी को मासिक विवरणी सितंबर 2013 से नियमित रुप से संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को भेजने के निदेश दिये गये हैं।

4. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी ने पंजीकरण का महत्व एवं रुई सांख्यिकी की मासिक विवरणियों को भरने के महत्व के बारे में जागरुकता निर्माण करने एवं युनिटधारक को ऑनलाइन पंजीकरण करने एवं मासिक विवरणी भरने का प्रशिक्षण देने के ठोस प्रयास किये हैं। यद्यपि कुछ कॉटन जिनरों, कॉटन बेल प्रेसरों तथा रुई व्यापारियों ने पंजीकरण किया है एवं मासिक विवरणियाँ भी भर रहे हैं, **किन्तु युनिटधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया भारत सरकार की अपेक्षा के अनुरुप नहीं है ।**

5. **एतद्द्वारा देश के सभी युनिटधारकों से अपील की जाती है कि कृपया स्वेच्छा से आगे आएं एवं संबंधित सांख्यिकी अधिकारी के साथ अपनी इकाई / फर्म का पंजीकरण कराएं एवं माह सितंबर 2013 से जनवरी 2014 तक की मासिक विवरणियॉ विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करें एवं उसके बाद फरवरी, 2014 से मासिक आधार पर नियमित रुप से नियत तिथि के भीतर विवरणियाँ प्रस्तुत करें ।** सभी युनिटधारकों के लिये यह उपरोक्त निदेश के 31.03.2014 से पूर्व अनुपालन के लिये आखिरी एवं अंतिम चेतावनी होगी। तथापि,कृपया अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें एवं ऑनलाइन पंजीकरण के लिये एवं फरवरी 2014 तक की विवरणियाँ नियत तिथि के भीतर प्रस्तुत करके उपरोक्त निदेश का यथाशीघ्र अनुपालन करें।

6. पंजीकरण के लिये ऑनलाइन फार्म भरने एवं मासिक विवरणियों के फार्म भरने संबंधी किसी संदेह तथा अथवा स्पष्टीकरण के लिये युनिटधारक संलग्र परिशिष्ट - ए में उल्लिखित संबंधित सांख्यिकी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

संलग्र : परिशिष्ट -ए।

(एन. एम. मुगदुर)
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति,

सभी युनिटधारक, अर्थात कॉटन जीनिंग इकाइयाँ, सम्मिश्रित कॉटन जीनिंग तथा प्रेसिंग इकाइयाँ, स्वतंत्र कॉटन प्रेसिंग इकाइयाँ, सर्जिकल कॉटन तथा / अथवा कॉटन वाडिंग विनिर्माण इकाइयाँ तथा रुई व्यापारी।

प्रतिलिपि :

1. श्री दिनेश कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं वस्त्र आयुक्त , कमरा नं.56, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 107, दूरभाष सं. 011 - 23062945/23063684, फैक्स : 011 -23062429, ई मेल : dchl@nic.in
2. श्रीमती पुष्पा सुब्रहमण्यम, संयुक्त सचिव (रुई), वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 107, दूरभाष सं. 011 - 23062326, ई मेल : pushpa.s@nic.in
3. वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी संयुक्त वस्त्र आयुक्त
4. वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी प्रभारी अधिकारी, इस संबध में अलग से जारी पत्र के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिये ।

(एन.एम.मुगदुर)
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

रुई सांख्यिकी के एकत्रीकरण के लिये सांख्यिकी अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	सांख्यिकी अधिकारी	अधिकार क्षेत्र	पता
1.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दमन तथा दिव एवं दादरा एवं नगर हवेली	वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, दि अहमदाबाद पीपल्स को.ऑप. बैंक बिल्डिंग,भद्रा, अहमदाबाद - 380 001 दूरभाष नं. 079 -25350366; फैक्स नं. 079 - 25350366 ahmedabad-rotxc@nic.in; rotcahd@gmail.com
2.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुंबई	महाराष्ट्र तथा गोवा	वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय सदन, 5 वी मंजिल, 'सी' विंग,रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास,निर्मला देवी मार्ग, सेक्टर -10, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई - 4000614 दूरभाष नं. 022 -27560645; फैक्स नं. 022 - 27562629 Mumbai -rotxc@nic.in; rotxcmumbai@gmail.com
3.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर	केरला,तामिलनाडु, पॉडिचेरी, लक्षद्वीप,मीनीकोय आयलैंड, माहे एवं कैराईकल	वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, चिंतामणी को. ऑप.सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स, मेटपलायम रोड, आर. एस. पुरम (पी.ओ.) कोयम्बतूर - 641 002 दूरभाष नं. 0422 -2543403; फैक्स नं. 0422 - 2543503 Coimbatore -rotxc@nic.in; rotxccbe@yahoo.com
4.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलूरु	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक	वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, शेड नं. 7/8 वीआईटीसी एक्सपोर्ट भवन, 14 वॉ क्रॉस, 2 रा स्टेज, पीनया इंडस्ट्रीयल एरिया, बैंगलूर - 560 058 दूरभाष नं. 080 -28367539; फैक्स नं. 080 - 28367439 banglore -rotxc@nic.in; textilebangalore@gmail.com

अनु क्र.	सांख्यिकी अधिकारी	अधिकार क्षेत्र	पता
5.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर	जम्मू एवं कश्मिर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंढीगड़	वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, पी.ओ.रेयॉन सिल्क मिल्स, पालीटेक्नीक रोड, छेहत्तरा,अमृतसर - 143 104 दूरभाष नं. 0183 -2452214; फैक्स नं. 0183 - 2452216 rotxcasr@gmail.com
6.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	आसाम,बिहार,उडिसा,पश्चिम बंगाल, मणीपुर,मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश,सिक्किम, नागालैंड,त्रिपुरा,अंदमान एवं निकोबार, झारखंड,मेघालय	वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, एम.एस.ओ.(बिल्डिंग) तृतीय तल, सब ब्लॉक(ए अन्ड सी) ब्लॉक डी .एफसी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता - 700 064 दूरभाष नं. 033 -23344998; फैक्स नं. 033 - 23340789 Kolkata-rotxc@gmail.com
7.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	हरयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल	वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, सी -97, पहली मंजिल, सेक्टर -02, नोएडा, जी. बी. नगर - 201 301, दूरभाष नं. 0120 -2522954; फैक्स नं. 0120 - 2558731 noida-rotxc@nic.in; rotxcnoida@gmail.com
8.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर	मध्य- प्रदेश, छत्तीसगढ़	वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, कारपोरेट ब्लॉक,रेडीमेड गारमेंट कॉप्लेक्स, परदेशी पुरा, इंदौर - 452 011 दूरभाष नं. 0731 -2572262; फैक्स नं. 0731 - 2572261 indore-rotxc@nic.in; rotcind@gmail.com